न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 46/2025

रमेश पुत्र मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा। :- वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र माडूराम जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. रोशनलाल पुत्र मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. रेशमा पुत्री मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. माया पुत्री मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. दर्शना पुत्री मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री जयकिशन गोदारा : **वादी**

वकील श्री संजीव कौशिक : **प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

दिनांक : 28.05.25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 405, 406, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 422, 433, 65 कुल खसरा 11 की कुल 41.2520 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम 1249/20626 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा माडूराम की खातेदारी हुआ करती थी जो माडूराम के देहान्त होने के पश्चात मोहरसिंह को विरासतन प्राप्त हुई है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 6 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में रमेश पुत्र मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा [illegible] खाता संख्या 39 सम्वत 2074-77 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा कलाना खाता संख्या 47 [illegible] सम्वत 2042 प्रदर्श 2, शपथ पत्र रमेश पुत्र मोहरसिंह प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:33:10 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

कलक्टर
(फा.ट्रै.)भादरा

Scanned with CamScanner

कार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 405, 406, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 422, 433, 65 कुल खसरा 11 की कुल 41.2520 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम 1249/20626 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह अकेले की बजाय वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 405, 406, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 422, 433, 65 कुल खसरा 11 की कुल 41.2520 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम 1249/20626 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह अकेले की बजाय वादी रमेश तथा प्रतिवादी संख्या 1 मोहरसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 रोशनलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:33:10 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 46/2025

दरम्यान :

रमेश पुत्र मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा। :– वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र माडूराम जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. रोशनलाल पुत्र मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. रेशमा पुत्री मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. माया पुत्री मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. दर्शना पुत्री मोहरसिंह जाति स्वामी निवासी कलाना तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट--ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री जयकिशन गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संजीव कौशिक की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 405, 406, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 422, 433, 65 कुल खसरा 11 की कुल 41.2520 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम 1249/20626 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह अकेले की बजाय वादी रमेश तथा प्रतिवादी संख्या 1 मोहरसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 रोशनलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:33:10 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner